डॉ० निर्मल कुमार सिंह
राजनीति विज्ञान विभाग

दिनांक 20.4.20

ब्रिटिश संविधान

ब्रिटिश संविधान का क्रमिक विकास हुआ है। यह अधिनियमित नहीं है। यह इतिहास की देन है और क्रमिक विकास का परिणाम है। यह संयोग एवं बुद्धिमता की संतान है। यह स्थिर नहीं, बल्कि एक गतिशील संविधान है। एल० एम० एमरी अपनी पुस्तक "थॉट्स ऑन द कांस्टीट्यूशन" में कहते हैं कि "ब्रिटिश संविधान कानून, पूर्व क्रमितता तथा परम्परा का मिश्रण है।"

ब्रिटिश संविधान के विभिन्न तत्वों या स्रोतों का वर्णन इस प्रकार किया गया है; –

① परम्परायें (Tradition):–

ब्रिटिश संविधान के अधिकांश मूलतत्व का गठन परम्परायें करती हैं। ये राजनीतिक व्यवहारों के अलिखित सिद्धान्तों तथा संवैधानिक व्यवहारों का प्रचलित आचरण है जिनका विकास समय के दौरान हुआ है। जे० एस० मिल ने इसको "संविधान के अलिखित नीतिवचन" के रूप में लिया गया है।

परन्तु कानूनों के विपरीत उनको न्यायालयों द्वारा मान्यता नहीं मिलती है और न ही न्यायालयों द्वारा इन्हें

लागू किया जाता है। ब्रिटिश राजनीतिक संस्थाओं की वास्तविक गतिविधियों में ये परम्परायें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। चूंकि उनको परम्परा एवं जनमत का समर्थन प्राप्त रहता है इसलिए आमतौर पर उनका पालन किया जाता है।

ब्रिटेन की कुछ जानी-मानी परम्परायें निम्नलिखित हैं:—

(i) राजा या रानी को अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर करना चाहिए।

(ii) राजा को प्रधानमंत्री पद पर हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत दल वाली पार्टी के नेता को नियुक्त करना चाहिए।

(iii) राजा को संसद के निचले सदन की समाप्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर करनी चाहिए।

(iv) राजा को संसद द्वारा पारित तमाम अध्यादेशों को अपनी स्वीकृति देनी चाहिए।

क्रमशः—